

1. हंसराज पुत्र जयमलराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कमला पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अंजना कुमारी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सविता पत्नी स्व. विजेन्द्र पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. अभिनव उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व. विजेन्द्र जरिये संरक्षक माता सविता पत्नी स्व. विजेन्द्र जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन डिक्री

दिनांक :- 14/10/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल विरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

क	वादी :-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	16 एमओडी	31/257	7, 14, 15/1, 15/2, 15/3	0.759 हैक्.
		32/257	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13	2.277 हैक्.
		35/264	1 ता 4	1.012 हैक्.
			कुल तादादी	4.048 हैक्.
ख.	प्रतिवादी सं. 3 :-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	16 एमओडी	34/262	12 ता 14, 18 ता 22	2.024 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय को र्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बरानी /

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मकान/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव
या जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/10/2025 को
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल
आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पिलीबंगा